Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ पाली में जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन, दो सदस्य एवं उनका सहयोगी अधिवक्ता 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, *11 जूलाई, सोमवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर पाली–प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सीताराम चेयरमैन, श्रीमती इंदू चौपड़ा एवं लक्ष्मण पालदिया सदस्य बाल कल्याण समिति, जिला पाली को उनके सहयोगी सुधीर काकाणी अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली–प्रथम इकाई को परिवादिया द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादिया को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिकर राशि 4 लाख 25 हजार रुपये दिलवाने की एवज में सीताराम शर्मा चेयरमैन, श्रीमती इंदू चौपड़ा, सदस्य एवं लक्ष्मण पालदिया सदस्य बाल कल्याण समिति, जिला पाली द्वारा उनके सहयोगी सुधीर काकानी अधिवक्ता के माध्यम से 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में 42 **हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी पाली–प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरपत चंद** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती अनु चौधरी** एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये सुधीर काकानी अधिवक्ता जिला पाली को बाल कल्याण समिति के ऑफिस में सीताराम शर्मा चेयरमैन, श्रीमती इंदू चौपड़ा, सदस्य एवं लक्ष्मण पालदिया सदस्य बाल कल्याण समिति, जिला पाली के लिये परिवादी से प्रथम किस्त के रूप में 10 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।